कंपनी	30.6.94	कंपनी	30.6.95	कंपनी	31.3.96
आई.डी.बी.आइ.	906,97	एच.पी.सी.एल.	1,083.50	ग्रासिम	1,073,75
आई.एफ.सी.आई.	662.97	आई.डी.बी.आई.	789.98	आई.डी.बी.आई.	765,32
टेल्को	655.07	टेल्को	719.55	टाटा कैम	692.22
		टाटा कैम	679.41	टैल्को	659.43

Proposal to allow foreign airline operators to enter the domestic market

*199. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether foreign airlines have shown interest in entering domestic market;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the existing private airlines operating in the country are having collaboration with some foreign airlines;

(d) whether such a step is indirectly entering into the domestic market; and

(e) if so, the reaction of Government on the functioning of private airlines?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) As per Article 7 of Chicago Convention member States are prevented from seeking and granting any exclusive right to another State or its airline for taking on its territory, traffic destined for another point in its territory.

(c) M/s Jet Airways (India) Ltd. is the only scheduled private airline with 20% equity by M/s Gulf Air and 20% by M/s Kuwait Airways.

(d) and (e) As per the guidelines, foreign equity participation is permitted in the Air Transport Services, upto a ceiling of 40% on a case by case basis.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क का अपवंचन करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही / न्यायिक कार्यवाही

*200. श्री ईश दत्त यादव:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सौ करोड़ रुपए से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और / अथवा सीमा शुल्क का अपवंचन करने के कारण विभागीय कार्यवाही की जा रही है और अथवा / न्यायिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध सी०ई०जी०ए०टी०, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पांच वर्ष से अधिक समय से ऐसे मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री: (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) जिन कंपनियों के विरुद्ध सौ करोड़ रु० से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और / या सीमा शुल्क अपवंचन किए जाने के आरोप के आधार पर कार्यवाही आरंभ की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(1) मैसर्स आई०टी०सी० लि०